राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं **निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं**

क्रमांक : एफ 21/एनएचएम/आशा/एएए/वी.सी./17-18/ 73 दिनांक : 4/01/2018

कमांक-: F26(4)()/AAA/IEC/ICDS/2016/ 5135-5167 दिनांक: 04-01-2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले, राजस्थान।

उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं
समस्त जिले, राजस्थान।

विषयः- राज्य स्तर से विडियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से कार्यरत समस्त एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी को राजसंगम (AAA अवधारणा) का आमुखीकरण करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में कार्यरत लगभग 16,000 एएनएम, 62,020 आंगनबाडी कार्यकर्ता व 49,000 आशा सहयोगिनी द्वारा आमजन को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाऐं प्रदान की जाती हैं। उक्त तीनों कार्यकर्ता लाभार्थीयों को समेकित रूप से टीम भावना के साथ स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाऐं उपलब्ध करवाने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 20/12/2017 को राजसंगम (AAA अवधारणा) का शुभारम्भ किया गया। इस अवधारणा के सम्बन्ध में उक्त तीनों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय, ब्लॉक स्तर के अधिकारी तथा सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, समस्त एलएचवी, पीएचसी आशा सुपरवाईजर, महिला एवं बाल विकास विभाग से एल.एस., ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी को निर्धारित बैच व तिथी (संलग्न) के अनुसार विडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अधिकतम 20 बैच के अनुसार 20 वीसी के माध्यम से पूरा किया जावेंगा।

अतः आपके अधीन समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित करते हुए संलग्न प्रपत्र के अनुसार कार्मिकों को निर्धारित दिनांक व समय पर सम्बन्धित जिला मुख्यालय/ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केन्द्र (विडियो कान्फ्रेंस केन्द्र) पर आवश्यक रूप से विडियों कान्फ्रेन्स प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होकर सुव्यवस्थित बैठना सुनिश्चित करायेंगें।

विडियो कान्फ्रेन्स के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाऐं की जानी हैः-

- उपकेन्द्र क्षैत्र की समस्त ए.एन.एम., आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनी एक ही बैच में उस उपकेन्द्र की टीम के रूप में उपस्थित होगी।
- राज्य स्तर से 30 से 40 प्रतिभागियों के बैच बनायें गये हैं उनके अनुरूप बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

- समस्त कार्यकर्ता अपनी निर्धारित गणवेश में उपस्थित रहेंगे।
- ए.एन.एम. अपने क्षैत्र के कोई दो आरसीएच रजिस्टर, आंगनबाडी कार्यकर्ता अपना सर्वे रजिस्टर एवं ग्रोथ मोनिटरिंग चार्ट व रजिस्टर तथा आशा सहयोगिनी अपनी आशा डायरी लेकर उपस्थित होगें।
- उक्त समस्त कार्यकर्ता **अपने रजिस्टर/डायरी अद्यतन कर साथ लावें वी.सी. के दौरान उक्त रिकॉर्ड का सत्यापन भी किया जावेगा।**
- यदि कोई कार्मिक विशेष कारणवश वी.सी. में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समुचित कारण सहित अनुमति प्राप्त करें तथा अगले ही वीसी दिवस पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।
- यदि कोई कार्मिक स्वेच्छा से वी.सी. में अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियंत्रक अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल गें लाई जावें।
- उक्त वी.सी. में राज्य स्तर से जारी बैनर को ही प्रिन्ट करवाकर वी.सी. केन्द्र पर लगाया जाना सुनिश्चित करें। (संलग्न बैनर प्रारूप)

विडिया कान्फ्रेन्स से सफल संचालन हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चयनित नोडल अधिकारी हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

जिला स्तर–

01. जिला स्तर पर जिला कार्यकम प्रबन्धक नोडल अधिकारी तथा जिला आशा समन्वयक सहायक नोडल अधिकारी होगें, जो सीएमएचओ/आरसीएचओ से दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्य करेंगें। जिले के प्रत्येक ब्लॉक के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी से व्यक्तिशः सम्पर्क कर अटल सेवा केन्द्र पर प्रत्येक वी.सी. से पूर्व समस्त व्यवस्थाऐं एवं सुविधाऐं सुचारू होना सुनिश्चित करेगें। जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से उक्त कार्य कि मॉनिटरिंग करेगें।
02. राज्य स्तर से बनाये गये वीसी बैच में जिला स्तर पर आंशिक बदलाव किया जा सकता है। अगर कोई ब्लॉक छोटा है और नजदीकी ब्लॉक बडा है जहां 20 बैच से ज्यादा की सम्भावना/प्रति बैच प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा है जिससे बैठने में समस्या आ सकती है तो जिला स्तर से नजदीकी ब्लॉक पर ऐसे उपकेन्द्रों की टीम को वीसी में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा। इसकी सूचना राज्य स्तर पर अवश्य देनी होगी।

03. प्रत्येक वी.सी. में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों की उपस्थिति हेतु ब्लॉक स्तर पर पूर्व में संधारित किये जा रहे वी.सी. रजिस्टर में ही उपस्थिति दर्ज करवायेगें।

04. वी.सी. होने के उपरान्त नोडल अधिकारी प्रत्येक ब्लॉक से उस दिन की उपस्थिति आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र (सलग्न Excelsheet) में एकत्रित कर जिले की इकजाई रिपोर्ट (ब्लॉकवार) वी.सी. होने की दिनांक को ही राज्य स्तर पर ईमेल आईडी co.asha_nrhm@yahoo.com पर आवश्यक रूप से भिजवायेगें।

ब्लॉक स्तर–

1. ब्लॉक स्तर पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक नोडल अधिकारी होगें एवं वी.सी. से सम्बन्धित समस्त व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बी.पी.एम. व बी.एच.एस. की होगी।
2. बीसीएमओ एवं बीपीएम पंचायत समिति कार्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र के वी.सी. प्रभारी से समन्वय कर वी.सी. से पूर्व व्यवस्थाऐं एवं सुविधाऐं सुचारू होना सुनिश्चित करेगें।
3. बीसीएमओ एवं बीपीएम में से कोई एक व बी.एच.एस. तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा नामित कार्मिक प्रत्येक वी.सी. में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।
4. यदि विशेष परिस्थितियों में किसी ब्लॉक में वी.सी. सुविधा उपलब्ध नहीं है तो, वे नजदीकी एक अथवा दो वी.सी. केन्द्रों पर पहुंचकर वी.सी. में आवश्यक रूप से उपस्थित होगें।
5. इस कार्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति आदेश F(21)NHM/ASHA/PIP/2017-18/58 दिनांक 03/01/2018 के अनुसार प्रत्येक एएए को राशी 125/–रू. की निर्धारित दर से मानदेय व यात्रा हेतु भुगतान किया जावे। वी.सी. के दौरान अल्पाहार हेतु प्रति व्यक्ति राशी 25/– रू. की स्वीकृति दी गई हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक वी. सी. बैच हेतु राशी रू. 500/– का प्रावधान बैठक एवं पेयजल व्यवस्था हेतु किया गया है जिसका उपयोग करते हुए व्यवस्थाऐं सुचारू होना सुनिश्चित करें।

वीसी के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जावें:–

01. वी.सी. के दौरान सभी का मोबाईल Switch off रखा जावे व माईक को mute किया जावें।

02. जब किसी चिन्हित ब्लॉक के वीसी केन्द्र से वार्ता की जाती है तभी माइक को ऑन किया जावें एवं माइक को एक ही स्थान पर रखकर वार्ता करें।

03. ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक को वीसी समाप्त होते ही अपने ब्लॉक की उपस्थिति तुरन्त जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) को तथा डीएनओ को वीसी समाप्त होने के 01 घण्टे के अन्दर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को ईमेल आईडी co.asha_nrhm@yahoo.com पर आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु आपके सतर से निर्देशित करें।

इस वीसी कार्य संबंधी समन्वय एवं सहयोग हेतु श्री अभिषेक शर्मा, सलाहकार आशा मो0– 7014516016 एवं श्री हिमान्शु गौड़, सांख्यिकी डाटा सहायक मो0– 8764848549 पर सम्पर्क कर सकते है।

"राजसंगम" की विस्तृत जानकारी विभाग की वैबसाईट www.Rajswasthya.nic.in के होम पेज पर आपके सुलभ अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

संलग्न–वीसी कैलेण्डर, बैनर, उपस्थिति पत्रक (3)

शासन सचिव	**आयुक्त**
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।	**समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 5168-88 03-1-2018

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज.।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि. स्वा. सेवायें एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान।
6. निदेशक–आरसीएच।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक–मातृ स्वास्थ्य / शिशु स्वास्थ्य / टीकाकरण / परिवार कल्याण।
10. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
12. सहायक निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग, जयपुर।

13. स्टेट नोडल अधिकारी, आशा।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ समस्त जिला आशा समन्वयक राजस्थान।
15. समस्त बीसीएमओ व सीडीपीओ राजस्थान।
16. श्री अशोक एलेक्जेण्डर, अन्तरा फाउण्डेशन, नई दिल्ली।
17. श्री चेतन प्रकाश शर्मा, एसीपी, (उपनिदेशक) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
18. भण्डार अधिकारी को विडियो कान्फ्रेन्स में वास्ते आवश्यक व्यवस्था हेतु।
19. केयर टेकर, डीएमएचएस हॉल को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न कार्यक्रमानुसार डीएमएचएस हॉल बुक करें।
20. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते सम्बन्धित को ई–मेल हेतु ।
21. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

विडियो कॉन्फ्रेन्स की दिनांक का निर्धारण निम्नानुसार है :–

क.सं.	दिनांक	समय	बैच संख्या
1.	10.01.2018	1:00 से 04:00 बजे	01
2	13.01.2018	11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	02 व 03
3	15.01.2018	11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	04 व 05
4	16.01.2018	11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	06 व 07
5	17.01.2018	11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	08 व 09
6	25.01.2018	11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	10 व 11
7	29.01.2018	11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	12 व 13
8	30.01.2018	11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	14 व 15
9		11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	16 व 17
10		11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	18 व 19
11		11:00 से 01:00 बजे एवं 02:00 से 04:00 बजे	20

शेष दिनांक का निर्धारण कर शीघ्र अवगत करवा दिया जावेगा।

राजसंगम विडियों कॉन्फ्रेन्स प्रशिक्षण कार्यक्रम उपस्थिति पत्रक			
ब्लॉकः–		जिलाः–	दिनांकः–
क्र.सं.	पद	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें उपस्थित होना था	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जो उपस्थित हुयें
1	बीसीएमओ		
2	सीडीपीओ		
3	चिकित्सा अधिकारी		
4	बीपीएम		
5	बीएचएस		
6	एलएचवी		
7	एलएस		
8	पीएचसी आशा सुपरवाईजर		
9	एएनएम		
10	आंगनबाडी कार्यकर्ता		
11	आशा सहयोगिनी		
कुल सख्या			

क्र.सं.	नाम	पद	आंगनबाडी केन्द्र	उपस्वास्थ्य केन्द्र	सेक्टर	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर